



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5076

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44501 वर्ष 2025

नईमुद्दीन एवं एक अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : पंकज भारती

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज भारती तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.शा.अधि. श्री सुनील कुमार को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदकगण विचारण के लंबित रहने की अवधि में मुकदमा अपराध संख्या 111 वर्ष 2025, धाराएँ 55, 103(2), 61(2), 152, 196, 197, 299, 351(3), 353(2) भा.न्या.स., विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 13, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 तथा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7, थाना काकराली, जिला मुजफ्फरनगर में जमानत चाहते हैं।
4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त सलीम को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 41764 वर्ष 2025 में दिनांक 4.12.2025 को पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर विस्तारित किया जा चुका है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि चूँकि आवेदकगण का मामला उस सह-अभियुक्त के समकक्ष है जिसे पहले ही जमानत पर



विस्तारित किया जा चुका है, इसलिए वे भी समानता के आधार पर जमानत पर विस्तारित किए जाने के हकदार हैं। आवेदकगण बिना किसी आपराधिक इतिहास के 23.7.2025 से जेल में बंद हैं। यदि आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विचारण में सहयोग करेंगे।

5. जमानत की प्रार्थना का विद्वान ए.शा.अधि. द्वारा बलपूर्वक विरोध किया गया। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता तथा आवेदकगण के आपराधिक इतिहास न होने के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं का उनके द्वारा खण्डन नहीं किया गया।
6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए, विचारण के लंबित रहने की अवधि में तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नब्बन खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 आपराधिक एल.जे. 938** में पारित निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा **पारस राम विष्णोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021** तथा **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पारित निर्णयों के प्रकाश में, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदकगण इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किए जाने के हकदार हैं। जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकृत** किया जाता है।
7. आवेदकगण **नईमुद्दीन तथा फैमुद्दीन**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा उसी राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतों का सत्यापन किया जाए।
 - i) आवेदकगण विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
 - ii) आवेदकगण अभियोजन साक्षियों को दबाएंगे/डराएंगे नहीं।
 - iii) आवेदकगण निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकगण को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

8 जनवरी 2026

सिद्धांत

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।